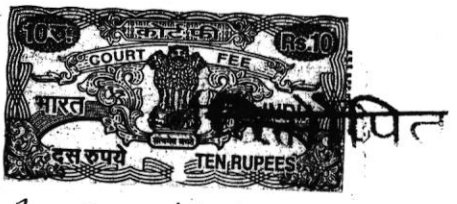

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा. 2017/2487

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017/निगरा

आवेदक – भगवती प्रसाद पुत्र स्व0 श्री बालस्वरूप बिंदुआ, निवासी ग्राम पुर मऊ, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

बनाम

अनावेदकगण –

1– घनश्याम दास बाजपेई, आयु 65 साल, पुत्र स्व0 श्री रेवाप्रसाद बाजपेई निवासी – ग्राम छजमनपुरा, कोतवाली के पास मोहबा, तहसील व जिला मोहबा (उ0प्र0)

2– मुसम्मत झुल्लू उर्फ ज्वालामुख, आयु 69 साल, बैवा स्व0 श्री रामप्रसाद बिंदुआ, निवासी – ग्राम पुर मऊ, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

फॉरमल पक्षकारगण –

3– बालस्वरूप, पुत्र श्री रामगोपाल बिंदुआ,

4– सरजू प्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल बिंदुआ,

5– अशोककुमार पुत्र श्री देवीप्रसवाद बिंदुआ

6– गिरिजाप्रसाद पुत्र श्री देवीप्रसवाद बिंदुआ निवासीगण – ग्राम पुर मऊ, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

7– मध्य प्रदेश द्वारा – कलेक्टर, छतरपुर जिला छतरपुर (म0प्र0)

श्री ... द्वारा आज दि. 31-7-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S.L. ... 31/7/17

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2017 पारित न्यायालय तहसीलदार, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 47/अ–6/2015–16

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 घनश्याम द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 झुल्लू की एक फर्जी वसीयत दिनांक 16.05.2016 उनकी मृत्यु दिनांक 18.05.2016 के दो दिन पूर्व तैयार कर उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर एक आवेदन नामान्तरण हेतु न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर के समक्ष दिनांक 21.06.2016 प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक हितबद्ध पक्षकार होने के उपरांत भी पक्षकार बनाये बिना प्रकरण प्रचलित किया गया, जिसकी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2487 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी तहसीलदार तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 47/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम पुर (मऊ) स्थित भूमि खसरा नं. 57, 450, 453, 496, 904, 914/2 एवं 969 किता 07 रकवा 4.756 का हिस्सा 1/2 रकवा 2.378 हे. एवं खसरा नं. 449, 452 किता 2 रकवा 0.166 हे. हिस्सा 1/3 रकवा 0.083 तथा खसरा नं. 27, 28, 668, 744 किता 4 रकवा 1.873 हे. भूमि का वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु तहसीलदार तहसील महाराजपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा धारा-151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर आपत्तिकर्ता द्वारा जवाब पेश किया जाकर धारा-151 का आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा-151 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि विधि के अनुसार जब किसी वसीयत एवं दस्तावेज को साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तब मुख्य	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर

साक्ष्य होने के उपरांत न्यायालय मुख्य साक्ष्य में संशोधन करने का कोई नियम एवं विधि का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है, बल्कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का विधि के अंतर्गत प्रावधान है। तब ऐसी स्थिति में प्रतिपरीक्षण के दौरान अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत धारा-151 सीपीसी मुख्य साक्ष्य में त्रुटि सुधारने हेतु तथा अन्य सर्वे नंबरान बढ़ाने का प्रस्तुत आवेदन विधि-प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से बिना पूर्व न्यायालय की अनुमति के, नियमों के विपरीत जाकर स्वीकार करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, इसलिए पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त प्रकरण वसीयत में बतौर साक्ष्य अनावेदक क्र. 1 घनश्याम ने अपने शपथ-पत्र में अपनी आयु 65 वर्ष का उल्लेख किया गया है। तब 65 वर्ष का व्यक्ति किस प्रकार से अनावेदक क्र. 2 झुल्लू की सेवा-सुश्रृता एवं दवा तथा खाने-पीने आदि का ख्याल कैसे रख सकता है। जब स्वयं 65 वर्ष का असमक्ष वृद्ध व्यक्ति होने से तैयार की गई फर्जी वसीयत तथा वसीयत के साक्षी जागेश्वर प्रसाद, उम्र 75 वर्ष एवं सुरेन्द्र शुक्ला उम्र 35 वर्ष द्वारा अपने शपथ-पत्र में उल्लेखित किया गया है, जो कि ग्राम पाटन तहसील विजावर के निवासी हैं। इससे भी पूर्णत: स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षी भी फर्जी तौर पर साक्ष्य देने के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो विधि नियमों के अनुसार निरस्त किए जाने योग्य हैं।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2487 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों पर विचार करते हुए एवं अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए अनावेदक का धारा-151 सीपीसी का आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य/प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया है, प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	